



उग्रवाद आतंकवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अर्थ एवं विश्लेषण

Dr. Reeta kr. Sharma¹ and Juin Banerjee²

¹HOD Department of Philosophy, S.S.L.N.T.M.M. Dhanbad.

²Research Scholar , Jharkhand Rai University.

सारांश :-

पिछले दो दशक से देश में उग्रवाद संगठनों की हिंसा का तांडव जारी है। उग्रवाद संगठनों की इस ज्वाला में अब तक बेशुमार जानें जा चुकी है लेकिन इस दावानल के मद्धम होने के आसार नजर नहीं आते। विडंबना यह है कि इस हिंसा में पुलिस भी एक एजेंट की भूमिका निभाती है।

सरकार, राजनैतिक दलों, बुद्धिजीवियों-समाजशास्त्रों एवं आम लोगों के लिए हिंसा का यह सिलसिला एक पहेली बना हुआ है। सभी अपने-अपने ढंग से इसकी व्याख्या कर रहे हैं।, सरकार इसे कानून और व्यवस्था की समस्या मानती है और अपनी इसी समझदारी के अनुरूप पुलिस के बल पर इस समस्या से निपटने की कोशिश कर रही है। यह अलग बात है कि पूरे प्रयास के बावजूद उसे आशिक सफलता भी नहीं मिली है। इतना ही नहीं, उसके प्रयासों से बहुधा प्रतिहिंसा को ही बढ़ावा मिलता है। पुलिस के अदने कर्मचारी से लेकर जिलाधिकारी तक इस हिंसा के शिकार हो चुके हैं।



उग्रवाद और उसके संगठनों से संबंधित अंग्रेजी का यह अनुच्छेद प्रस्तुत करना मुनासिब मालूम होता है :

A number of separatist organization operated in state of Nagaland, Mizoram. Tripura, Manipur, Darjeeling district of West Bengal and lately in Assam. While a few of these organization like in Mizoram, Tripura and in the Hill District Darjeeling Disordered militancy and joined the mainstream, others in Nagaland, Manipur and Assam are still continuing their struggle.

उग्रवाद के कार्यक्षेत्र और कार्यशैली के संबंध में रवीन्द्र राय लिखते हैं:

“The Naxalites

The Naxalite occupies an ambiguous niche in history, Exemplary idealist to some, he indicated to other an expression of immature disaffection that he has nothing constructive to offer. In either case, he embodies the reinstatement of man as a moral agent if only because Naxalites so radically challenged the premises of established morality. This might indeed seem an untenable proposition, considering the brief flicker of the Naxalite challenge and their almost foreordained failure. True, there are still Nasalities around. Provoking perhaps the same mixed responses that they did when they first appeared, but today they represent little beyond the insignificant irritant to those whose authority they question” (1)

ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में आतंकवाद का सारांश यह बयान किया गया है “शासन करने या राजनैतिक और अन्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संगठित तौर पर भयभित करने का एक तरीका है।” (२)

लेनिन ने लिखा था “Terrorism is one form of military struggle essential during certain moments of battle.” (3)

सुधीर कुमार सिंह लिखते हैं:- “Terrorism is a policy which is carried out through the revolutionary process in order to maintain control over the population and also to gain necessary support of the people who may not be very keen to support the guerrillas under normal circumstances”. (4)

निःसंदेह आतंकवाद किसी न किसी रूप में मानवजाति के इतिहास के साथ-साथ सफर करते हुए हम तक पहुँचा है। यह अलग बात है कि जिस पैमाने पर इन दिनों मानवजाति इससे पीडित है उसका उदाहरण शायद पुराने जमाने में नहीं मिलता। आज से बीस-तीस वर्ष पूर्व इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। ऐसा मालूम होता है कि बीसवीं शताब्दी की इस दहाई में आतंकवाद की एक तेज और तूफानी लहर उभरी है जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। आतंकवाद की इस तूफानी लहर का एक अनूठा पहलू यह है कि तख्त-व-ताज और सिंहासन थी इससे बुरी तरह भयभीत है। और अब तो यह संदेह भी प्रकट किया जा रहा है कि आतंकवाद की इस तेज लहर और सत्ताधारियों के लिए खतरनाक हालात के फलस्वरूप राजनीति और जनता से सम्पर्क केवल टी०वी० स्टूडियोज और रेडियो स्टेशनों तक सीमित न हो जाए। इससे स्पष्ट है कि यह समस्या बड़ी महत्ता इख्तियार कर चुकी है।

वर्तमान स्थिति पूर्ण रूपेण इस बात का साक्षी है कि आज कोई भी व्यक्ति चाहे वह बड़ा हो या छोटा, अमीर हो या गरीब इस लहर से बचा हुआ नहीं है, घर में, बाजार में, हवाई जहाज में, बिल्डिंग में, कहीं भी और किसी भी देश में आतंक अपना मुँह खोल सकता है। बुरी स्थिति उत्पन्न हो सकती है और इसकी प्रवल संभावना बना रहती है कि गपशप में व्यस्त यात्री अपनी मंजिल पर पहुँचने के बजाय मौत से दो चार हो जाए। या यरगमाली बना लिए जायें। घरों में मीठी नींद सोने वाले सुबह हो चारपाइयों पर मृतक पाये जायें। हिंसा की इस प्रक्रिया से चंगेज और हलाकू की आत्माएँ भी लज्जित हो जाती होंगी। वो तो युद्ध क्षेत्र और रण-भूमि में मानवसिरो की खेतियाँ काटते थे और उनका उद्देश्य प्रतिद्धिविकी होता था, परन्तु आज नींद में इंसानों के गले काटे जाते हैं और उनके उद्देश्य में महिलायों और बच्चे भी शामिल हैं।

एक मानव जीवन सिर्फ एक जीवन नहीं होता बल्कि कई जीवन इस एक जीवन पर आधारित और निर्भर होते हैं और एक इंसान सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होता वह बहुत से व्यक्तियों का प्रिय, सम्बंधी और मित्र होता है। इसलिए एक आतंक एक व्यक्ति की गर्दन नहीं दबोचता, बल्कि बहुत से व्यक्तियों को मौत के घाट उतार देता है।

आतंक के चलन और हिंसा के रवैये को हवा देकर कोई भी व्यक्ति अच्छा नहीं करता। वह वास्तव में अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारता है और अपनी राह में काँटे बोता है। इससे भी ज्यादा स्पष्ट शब्दों में यह कहना चाहिए कि वह जो रास्ता खोलता है उस रास्ते से दूसरे भी उसके पीछे लग जाते हैं।

परिचय

आतंकवाद दो शब्दों के मेल से बना है, “आतंक” और “वाद” आतंकवाद का अर्थ है “भय” या “त्रास” तथा “वाद” का अर्थ है “विचार या सिद्धांत” या “मार्ग”। भय या त्रास के माध्यम से अपने लक्ष्य की पूर्ति करने का सिद्धांत या विचार आतंकवाद कहलाता है। अत्याधिक भय और गंभीर चिन्तन उत्पन्न करने के उद्देश्य से की गयी ऐसी कार्यवाही का लक्ष्य, कार्यवाही द्वारा तात्कालिक पीडितों के माध्यम से उस बड़े समुदाय को प्रभावित करना होता है जिस पर दबाव डालकर कार्यवाही करने

वालों की राजनीतिक मांगों को स्वीकार करने के लिए उसे बाध्य किया जा सके। साथ ही आतंक विरोधी विधेयक में आतंकवाद की परिभाषा इस प्रकार दी गयी है, “सरकार अथवा लोगों को आतंकित करने, विभिन्न वर्गों में वैमनस्य बढ़ाने तथा शान्ति भंग करने के उद्देश्य से बम विस्फोट करने अग्निशस्त्रों का प्रयोग करने, सम्पत्ति नष्ट करने, रसायन अथवा रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल करने तथा आवश्यक सेवाओं में गड़बड़ी करने के उद्देश्य से किये गये कार्यों को आतंकवादी कार्य माना जायेगा।

उग्रवाद एवं आतंकवाद का विश्लेषण अपने अन्दर बेशुमार कारण रखता है। इसलिए किसी एक कारण को आधार मानना सच्चाई से मुँह चुराने के बराबर होगा। जो मुख्य कारण है उनके ताल्लुक से कुछ बातें कहीं ही जा सकती है।

श्री कुमार नरेन्द्र सिंह इस सम्बंध में लिखते हैं :-

कुछ विद्वानों का मानना है कि इस हिंसा के लिए अर्द्ध-सामंती सामाजिक संरचना जिम्मेदार है। इस संरचना की विशेषता यह होती है कि बड़े किसानों के पास अपनी पूंजी को किसी अन्य क्षेत्र में निवेश करने का अवसर नहीं होता, इसलिए वे जमीन पर ज्यादा-से-ज्यादा अपनी पकड़ मजबूत करने की इच्छा रखते हैं, या निरर्थक उपभोग में पैसा लगाया करते हैं। नक्सली संगठन इसके लिए भूपतियों के व्यवहार को उत्तरदायी ठहराते हैं। उनका कहना है कि मध्य बिहार में भूमि सुधार, न्यूनतम मजदूरी, दलित गरीबों की सामाजिक मर्यादा और जनतांत्रिक अधिकारों के सवाल को लेकर वे जो आंदोलन चला रहे हैं, वह इलाके के भूस्वामियों को नागवार गुजर रहा है। भूमिहीन मजदूरों को मारने-पीटने, जान से मार देने, उनकी झोपड़ियों जलाने एवं उनकी औरतों से बलात्कार करने में इन भूस्वामियों को परपीडक आनन्द मिलता है। ऐसे में उनके हथियारबंद सेनाओं के आक्रमण का प्रतिरोध करने के लिए भूमिहीन किसानों-मजदूरों की प्रतिबल संगठित करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। उग्रवादियों का कहना है कि अगर उनका आंदोलन हिंसक रूप अख्तियार करता है तो इसकी जड़ भूस्वामियों के अत्याचार में खोजी जानी चाहिए। उनकी नजर में इस हिंसा के लिए मूल रूप से भूस्वामी जिम्मेदार है जिनके खिलाफ भूमिहीन किसान मजदूरों ने सशस्त्र संघर्ष छेड़ रखा है। यह हिंसा उन इलाकों में चल रहे वर्ग-संघर्ष की सहज परिणति है। कहने का अर्थ यह है कि इस हिंसा को लेकर मंडु-मुंडे मतिर्दिना की स्थिति है। कोई इस हिंसा की जड़ों की तलाश इतिहास के आईने में कर रहा है तो कोई वर्तमान कारणों को तरजीह दे रहा है।

इसमें कोई दो राय नहीं कि उक्त सभी विश्लेषणों में कुछ सच्चाई है पर कोई भी विश्लेषण हिंसा की सम्पूर्ण और सम्यक व्याख्या नहीं करता क्योंकि उनका जोर किसी खास तथ्य पर है। जब तक सभी तत्वों की भूमिका की पडताल नहीं की जाएगी तब तक सभी तत्वों की भूमिका की पडताल नहीं की जाएगी तब तक हिंसा के चरित्र को समग्र रूप में सामने नहीं लाया जा सकता।” (५)

बिहार एवं झारखंड के संदर्भ में उग्रवाद एवं आतंकवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

बिहार एवं झारखण्ड में जारी उग्रवाद एवं आतंकवाद के तांडव पर प्रकाश डालने से पूर्व बिहार एवं झारखण्ड का चित्रण आवश्यक है

बिहार गांव का राज्य है। जैसे ही हमारे सामने गांव का नाम आता है तो हमारे मानसिक पहल पर गरीबी अशिक्षा इलाज के अभाव में सिसकते और बिलखते मरीज निर्धनता के कारण स्कूल के मुंह न देखने वाले बच्चे और हल्कू जैसे गरीब किसान इत्यादि की तस्वीर उभरने लगती है।

गांव जहां जनसंख्या या ज्यादातर भाग आवास करता है जिसे ठीक से दो वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है और जिसका जीवन उन शोषणकर्ता जमींदारों के रहमो करम पर आश्रित है जो उस वक्त तक चैन नहीं लेते जब तक उसके बदन के सारे लहू को चूस न लें।

ग्रामीण जीवन की इस संक्षिप्त झलक प्रस्तुत करने के बाद बिहार का चित्रण प्रस्तुत है। प्रकाश लोईस इस संदर्भ में लिखते हैं

इस चित्रण के बाद बिहार एवं झारखण्ड में जारी इस हिंसात्मक घटना की पृष्ठभूमि को क्रमबद्ध तरीके से पेश किया जाता है।

१. बिहार की अर्द्ध सामंती सामाजिक संरचना

कुछ विद्वानों का मानना है कि इस हिंसा के लिए बिहार की अर्द्ध सामंती संरचना जिम्मेदार है। इस संरचना की विशेषता यह होती है कि बड़े किसानों के पास अपनी पूंजी को किसी अन्य क्षेत्र में निवेश करने का अवसर नहीं होता इस लिए वे जमीन पर ज्यादा से ज्यादा अपनी पकड मजबूत करने की पैसा जाया करते हैं सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि जो खेती करता है उसके पास जमीन नहीं है और जिसके पास जमीन है वह स्वयं खेती नहीं करता। भूमि संबंधों की इस वर्तमान स्थिति में जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक बिहार एवं झारखण्ड में जारी हिंसा प्रतिहिंसा की जंग खत्म नहीं हो सकती। हस्तांतरण आज आवश्यक हो गया है। सवर्ण किसानों विशेषकर गरीब सवर्णों में जहां बची खुची जमीन के खो जाने का भय है वही भूमि हीनों में कुछ पाने की चाहत है। ऐसे में हिंसा को बढ़ावा मिलना स्वाभाविक है।

२. कड़ी सीमा सुरक्षा का अभाव

आतंकवाद का एक बड़ा कारण बिहार और झारखण्ड में कड़ी सुरक्षा का अभाव भी है। यहीं कारण और वजह है कि उग्रवादियों एवं आतंकवादियों को इन राज्यों में घुसने का अवसर प्राप्त हो जाता है और गंगा नाच करने का मौका हाथ आ जाता है। सीमा सुरक्षा की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए 'सुधीर कुमार सिंह यूँ लिखते हैं:

No nation can consider itself safe from violence generated from within or without its borders as long as malcontents of every political hue increasing by turn to the gun and the bomb to achieve the goals of terrorists. In situations of widespread terrorism, extremists may try to, out strip each other in atrocity. They have come to believe that those who spill the most blood will make the greatest mark and they will rely on publicity to extract the maximum advantage from their murders and extortions. Time and again different militant groups have become more daring and consequently more dangerous to the security of different countries. (9)

३. हिंसात्मक घटनाओं का संबंध धर्म विशेष और समुदाय विशेष स्थापित करना

यह सत्य है कि हिंसा कर्ताओं का कोई धर्म नहीं होता है क्योंकि कोई भी हिंसात्मक कार्यवाही विशेष स्थिति को छोड़कर इजाजत नहीं देता। लेकिन हाल के वर्षों में होने वाले आतंकी हमले का संबंध विशेष समुदाय से जोड़कर उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। यह कोई ढकी छुपी बात नहीं है और इससे भी दुखद बात यह है कि इस आतंकी हमले की आड में साम्प्रदायिक दंगे भी करवा दिये जाते हैं ताकि सही आतंकी की पहचान न हो सके। और अगर कोई सही तस्वीर लाने की कोशिश भी करता है तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। दोषी बलवाई और दंगाई स्वतंत्र होकर घुमते और दनदनाते फिरते हैं। निर्दोष को चुन-चुनकर कालकोठरी में बन्द कर दिया जाता है जहाँ उसकी आँहों और कराहें को भी कोई सुनने वाला नहीं होता है।

४. बिहार का ग्रामीण समाज

बिहार के ग्रामीण समाज को समझे बिना जारी इस हिंसा-प्रतिहिंसा के पहलुओं को नहीं समझा जा सकता। इस संदर्भ में यह अनुच्छेद पेशे खिदमत है:-

“वर्ग के हिसाब से बिहार के ग्रामीण समाज को तीन वर्गों में बांटा जा सकता है सामंत भूस्वामी व कुलक, मध्यम किसान, सीमांत किसान व बटाईदार तथा भूमिहीन कृषि मजदूर वर्ग के लिहाज से जातियों भी विभाजित है। सामंत किसान मुख्य रूप से उँची जातियों के हैं, जबकि कुलक और मध्यम किसान ज्यादातर पिछड़ी जातियों के ही हैं, लेकिन कुछ दलित जातियों के लोग भी बटाईदार हैं। लेकिन

उसकी सरलीकरण करना सही नहीं होगा, जबकि कई बार जातीयवर्गीय सीमाओं का आर्थिक और अनार्थिक उल्लंघन होता रहता है। सामंत और धनी भूस्वामी आम रूप से उँची जातियों के कहे जा सकते हैं।

उपरोक्त वर्गीकरण को यांत्रिक या स्टीरियोटाइप ढंग से नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि यह न तो पूर्ण है और न नियत। इसमें अंतवर्गीय गतिशीलता की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। इसके अलावा जातियों को वर्ग के मजबूत खेमे में कैद करके नहीं देखा जा सकता। वस्तुतः जाति और वर्ग के बीच आपसी तालमेल और अरलगाव दोनों एक साथ वर्तमान है, इसलिए इसका कोई भी सरलीकरण न तो संभव है और न वांछनीय। इसके बावजूद बिहार के ग्रामीण समाज में उपरोक्त तीन वर्गों और जातियों से उनका रिश्ता आम रूप से कायम है।

भूस्वामी और कुलक गठजोड़

भूस्वामी के तबके में दो तरह के लोग शामिल हैं। एक तो वे जो आज भी पुराने तरीके से रैयतों द्वारा खेती करवाते हैं और दूसरे पूंजीपति किसान हैं जो अपनी जमीन या तो घरेलू नौकरों को लीज पर देते हैं या दिहाड़ी मजदूर रखकर खेती करवाते हैं। सच कहा जाय तो आधुनिक तरीके से यही वर्ग खेती करता है। यह वर्ग बहुधा शहरों में रहता है। यह वर्ग सिर्फ आर्थिक रूप से ही नहीं, बल्कि समाजिक और राजनीतिक रूप से भी काफी मजबूत है, क्योंकि स्थानीय प्रशासन से लेकर नेताओं और मंत्रियों तक इनकी पहुंच होती है। राजनीतिज्ञ दल और उनके नेता चुनाव में समर्थन के लिए उनका सहयोग लेते हैं। अपनी-अपनी जातियों में भी इनकी काफी इज्जत है। एक तरह से अपनी जाति के लिए रोल मॉडल है। यही वो तबका है जो निजी सेनाएं रखने वाले भूस्वामियों को नेतृत्व प्रदान करता है। उँची जातियों के भूस्वामियों के अलावा इसमें मध्यवर्ती जातियों के धनी किसान भी शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि स्वतंत्रता के पहले किसान सभा की रीढ़ यही जातियाँ रही थी।

मध्यम किसान

अगर सही मायने में कहा जाय तो मध्यम किसान केवल पिछड़ी जातियों में ही पाये जाते हैं। वे स्वयं श्रम करते हैं। भूस्वामी होने के साथ-साथ वे खेती में अपना श्रम भी लगाते हैं। जमीन के रकबे के लिहाज से इसमें उँची जातियों के किसानों को भी शामिल किया जा सकता है, लेकिन जहाँ तक खेती में श्रम की बात है तो उँची जातियाँ स्वयं श्रम नहीं करती, यह सर्वविदित है। परंपरा के अनुसार स्वयं हल चलाना उनके लिए वर्जित है। उनकी महिलाएँ भी श्रम साध्य कार्य नहीं करती हैं -कम से कम खेती में तो वे शामिल ही नहीं होती। यादव, कुर्मी और काइरी जैसी पिछड़ी जातियाँ स्वयं खेती करती हैं और इस काम में उनकी महिलाएँ भी साथ देती हैं। जैसे इन जातियों में भी अपेक्षाकृत संपन्न हैं, उनके घर की महिलाएँ खेती का काम नहीं करती हैं। उँची जातियों की तरह अवधिया कुर्मी जाति की महिलाएँ खेती में काम नहीं करती हैं। दरअसल, पिछड़ी जातियों में संपन्न तबके द्वारा अपनी महिलाओं को खेती में काम नहीं लगाने का कारण सिर्फ आर्थिक ही नहीं है, बल्कि इसके लिए शोषण की संस्कृति भी जिम्मेदार है। भूस्वामियों द्वारा महिला खेतिहार मजदूरों का यौन-शोषण एक सामाजिक सच्चाई है। यह साबित करने के लिए किसी शोध की आवश्यकता नहीं है कि सबसे ज्यादा शोषण कामकाजी महिलाओं का होता है।

सीमांत किसान और बटाईदार

व्यवहारिक रूप से सीमांत किसान और बटाईदार वस्तुतः एक ही हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि बटाईदारों में छोटी जातियों की संख्या ज्यादा है, वरना उँची जातियों विशेषकर राजपूत और ब्राह्मणों में भी सीमांत किसानों की संख्या ही सबसे ज्यादा है। पिछले 90 वर्षों में उँची जातियों में भी बटाईदारों की संख्या काफी तेजी से बढ़ी है। मनीबटाई या नगदी बटाईदारों की संख्या इनमें सबसे ज्यादा है। उँची जातियों के सीमांत किसानों की आर्थिक स्थिति सबसे खराब है। सच तो यह है कि इनकी स्थिति कई

कमायनों में भूमिहीन मजदूरों से भी खराब है। सामाजिक सोपान में वे भले ही उपर हों, लेकिन आर्थिक रूप से वे किसी मजदूर से बेहतर नहीं है।

खेतिहर मजदूर

कृषि संबंधों के सबसे निचले पायदान पर खेतिहर मजदूर है, जो अमूमन अनुसूचित जातियों के हैं और भूमिहीन हैं। १९६० के बाद इनकी संख्या लिए सहयोग लेते हैं अपनी अपनी जातियों में भी इनकी काफी ईज्जत है एक तरह से अपनी जाति के लिए रोड मॉडल है यही वो तब ना है जो निजी सेनाएं रखने वाले भू-स्वामियों के अलावा इसमें मध्यवर्ती जातियों के धनी किसान भी शामिल है उल्लेखनीय है कि स्वतंत्रता के पहले किसान सभा की रीढ़ यही जातियां रही थी।

हिंसात्मक घटनाओं का संबंध धर्म विशेष और समुदाय विशेष स्थापित करना

श्यह सत्य है कि हिंसा कर्ताओं का कोई धर्म ही होता है क्योंकि कोई भी हिंसात्मक कार्य की विशेष समुदाय जोड़ कर उसे प्रताड़ित किया जा रहा है यह कोई ढकी छपी बात नहीं है और इस से भी दुखद बात यह है कि इस आतंकी की पहचान हमले की आड में साम्प्रदायिक दंगे भी करवा दिये जाते हैं ताकि सही आतंकी की पहचान न हो सके। और अगर कोई सही तस्वीर लाने की कोशिश भी करता है तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। दोषी बलवाई और दंगाई स्वतंत्र हो कर घूमते और दनदनाते फिरते हैं। निर्दोष को चुन कर काल कोठरी में बन्द कर दिया जाता है जहां उसकी आहो और कराहो को भी कोई सुनने वाला नहीं होता है।

कडी सीमा सुरक्षा का अभाव

आतंकवाद का एक बड़ा कारण बिहार और झारखण्ड में कडी सुरक्षा सीमा सुरक्षा का अभाव भी है। यही कारण और वजह है कि उग्रवादियों एवं आतंकवादियों को इन राज्यों में घुसने का अवसर प्राप्त हो जाता है और नंगा नाच करने का मौका हाथ आ जाता है।

जंगल की प्रचुर मात्रा में मौजूदगी

बिहार और झारखण्ड में वन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं जो प्राकृतिक सौन्दर्य तो बिखेरते हैं साथ साथ वातावरण को भी स्वच्छ बनाने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन इसी के साथ यह आतंकवादों का आश्रय भी बने हुए है। चूंकि पुलिस पहुंचती भी है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और आचरण हीन अपने दिल की भरास निकाल कर दूसरी जगह कूच कर चुके हैं। छोटा नागपुर का एक उदाहरण देना काफी होगा।

नदियां और गुफाओं की अच्छी संख्याओं में होना

चूंकि इस राज्य में कई नदियां बहती हैं और नदियां का इलाका काफी सुनसान होता है। वहां तक पहुँचना खतरे से खाली नहीं होता। इन सब कारण के मद्देनजर आतंकी अपने आश्रय के लिए इन जगहों का चुनाव करते हैं ताकि अपनी मनोकामना की पूर्ति में आसानी रहे और पुलिस के पहुँचते पहुँच वे दूसरे इलाके में प्रवेश कर लें यही हाल गुफाओं का भी है जो इस संगठन से जुड़े लोगों को एक सुरक्षित आश्रय प्रदान करते हैं।

पहचान का खतरा

पहचान का खतरा भी हिंसा को बढ़ावा देता है। यह कोई जरूरी नहीं कि पहचान का खतरा वास्तविक ही हो, बल्कि छद्म भी हो सकता है। पहचान का खतरा अन्य कारणों के अलावा राज्य द्वारा भेद भाव किए जाने के एहसास से भी किसी समूह विशेष में पैदा हो सकता है। यहां तक कि किसी

सांस्कृतिक प्रतीक के प्रति अवमानना की भावना से भी कोई समूह अपनी पहचान का खतरा महसूस कर सकता है। ऐसी भावना और ऐसा एहसास हिंसा की जमीन तैयार करते हैं।

अशिक्षा

शिक्षा और साक्षरता के बिना जीवन कितना अधूरा रहता है हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि “शिक्षा तमाम अच्छाईयों की जड़ है और अशिक्षा तमाम बुराईयों की जड़ है। अशिक्षा भी हिंसा की राह को हमवार करती है और अशिक्षित व्यक्ति को बहुत जल्द इस हिंसात्मक घटनाओं के लिए आला एवं औजार के तौर इस्तेमाल किया जा सकता है। चूँकि बिहार में शिक्षा दर कम है जिसके कारण यहाँ हिंसा का तांडव जारी रहता है। शिक्षा दर के संबंध में प्रकाश लोईस (Prakash Louis) लिखते हैं :-

“Literacy rate in Bihar is a dismal 38.48 percent, compared with the national average of 52.49 percent. Female literacy rate, the Bihar average is only 22.89 percent, compared with the Indian average of 39.42 percent. Bihar stands 31st among the Indian states in terms of literacy, in spite of the regular innovative educational programmes and allotment of funds for special schemes like the total literacy. Campaign, National Literacy Mission, Operation Black Board (1988-89), Bihar Educational Project Programme (DPEP), etc, and the striving of hundreds of NGO for more than two decades. Among the scheduled Castes the picture is even more dismal. Whereas the literacy rate of the Scheduled Castes of India is 49.91 percent for male, 23.76 percent for female and 37.41 percent for total scheduled caste population, the corresponding figures for Bihar are 30.64 percent.” (13)

बढती मंहगाई

बिहार में अधिकांश लोग ऐसे हैं जिन्हें काफी मेहनत और श्रम के बावजूद बड़ी मुश्किल से दो वक्त की रोटी मिल पाती है। लेकिन इस बढती मंहगाई ने उनके लिए अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर दीं। परिणाम स्वरूप वे निराशाजनक प्रवृत्ति के शिकार हो गए और उन्हें दिन में भी अंधेरा नजर आने लगा। जाहिर है कि अंधकार में रहने वाले दूसरों को भी अंधकार में ही रखने के लिए विवश होंगे। यही कारण है कि ऐसे लोग इस तरह के संगठन से जुड़कर दूसरे लोगों की जिन्दगी के चिराग को गुल कर देते हैं।

आर्थिक असमानता

बिहार राज्य में आर्थिक असमानता बहुत है। इसका बुनियादी कारण सामंत शोषण प्रवृत्ति का पाया जाना है। न्यूनतम मजदूरी आम बात है। अगर कोई इसके विरुद्ध आवाज उठाने की हिम्मत भी करता है तो उसे नाकामी और असफलता ही हाथ लगती है। फिर वह लाचार होकर उससे समझौता करने पर मजबूर हो जाता है और दयनीय जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हो जाता है। इसी का नतीजा है कि कुछ लोग खाने के लिए करते हैं और कुछ खाते-खाते मरते हैं।

भूमि वितरण की विषमता

इस संदर्भ में कुमार नरेन्द्र सिंह लिखते हैं:-

“बिहार के इलाकों में जारी हिंसा मूल रूप से किसान असंतोष की उपज है और यह असंतोष जहाँ औपनिवेशिक काल से जारी नाजायज कृषि व भूमि संबंधों से उपजा है। इसमें सरकार की विफलता तो सन्निहित है ही, हिंसा को बढाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।” (98)

हिंसक जातिवाद

निःसंदेह यह बात कही जा सकती है कि भारत के मानचित्र पर उभरने वाला बिहार एक ऐसा राज्य है जहां के लोग आजाद होने के बावजूद आंतरिक गुलाम है और जातियों की बेड़ियों एवं वर्णों तथा वर्गों के शिकंजे में जकड़े हुए हैं। जाति चित्रण से संबंधित प्रकाश लोईस (Prakash Louis) लिखते हैं :-

“In terms of caste, the upper caste (Brahmins, Rajputs, Bhumihars and Kayastha) constitute 12.7 percent of the population of Bihar. The backward caste constitute 50 percent of the population with the upper backward castes constituting 18.8 percent and the lower backward castes 31.2 percent. The scheduled castes constitutes 13.8 percent of the population. The scheduled Tribes, concentrated in Chotanagpur and Santhal Parganas areas, account for 8.9 percent and the Muslims 12.2 percent.” (15)

इसी संदर्भ में यह अनुच्छेद भी प्रस्तुत किया जा रहा है :- जातीय संरचना के लिहाज से चार उंची जातियों (ब्राहमण, राजपूत, भूमिहार, कायस्थ) की संख्या १५ प्रतिशत है जबकि पिछड़ी जातियां जिनकी संख्या करीब एक सौ है, ५० प्रतिशत है। पिछड़ी जातियों में यादव, कुर्मी और कोईरी की संख्या सबसे ज्यादा है। अनुसूचित जातियों की संख्या १४.५१ है। इसी तरह अनुसूचित जनजातियों की संख्या ८.३१ प्रतिशत है। इसमें झारखण्ड राज्य शामिल है। मुसलमानों की संख्या १२ प्रतिशत है।” (१६)

निष्कर्ष

यह सही है कि भूमि का सवाल बिहार के सामाजिक जीवन के तनाव का एक मुख्य कारण है, लेकिन यह पूरा सच नहीं है क्योंकि इसके पीछे वर्णवादी सोच भी कम महत्वपूर्ण कारक नहीं है। बिहार के ग्रामीण जीवन में जाति वर्ग से ज्यादा महत्वपूर्ण अवयव है। वहां जातीय चेतना वर्ग चेतना पर हावी है। सामाजिक राजनीतिक गोलबंदी का वहां जाति की सबसे बड़ा चैनल है। वर्ग विभेद की रेखा इतनी पतली है कि जहां तहां जाति के घरोंदे तब्दील हो जाती है। वर्ग-संघर्ष कभी जाति के खाने में तो जाति कभी वर्ग के खाने में कैद हो जाती है। दलितों के प्रति पंरपरागत घृणा का भाव सवर्णों में मौजूद है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता है।” (१७) घृणा का यही भाव परिणाम स्वरूप हिंसक जातिवाद घटना घटित करता है।

संदर्भ सूची

- (1) The Naxalities and their ideology by Rabindra Roy, Oxford University press, page 2-3.
- (2) दहशतगर्दी, मुल्की और आलमी सतह पर अज सुलतान शहिद, वक्कास पब्लिकेशन्स, इफतेखार रोड कैन्ट, लाहौर पू० सं० ३१
- (3) Terrorism, A comprehensive Analysis of Wold Terrorism by Dr Deepak Rao and Seema Rao, A.P.H. Publishing Corporation. New Delhi Page 3.
- (4) Terrorism, A Global phenomenon of Sudhir Kumar Singh, Authors Press, Delhi Page no.1
- (5) People Power by Prakash Louis, Wordsmith Delhi, 2002 page 80
- (6) बिहार में निजी सेनाओं का उद्भव एवं विकास, द्वारा कुमार नरेन्द्र सिंह, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली पृ०सं० २१७ पूर्व पृ०सं० १२४-१२५^१